न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

निगरानी (डीपीसीएण्डआर) प्रकरण संख्या 01/2016 (RCMS : 2016/ 00222) **अनवान 1. ज्ञान कौर बेवा मुख्तयार सिंह 2. अग्रेंज सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह जाति मजहबी सिख निवासीयान मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर** बनाम **1. राजीबाई** पत्नी दुल्हा दी नंगल 2. **जसवन्त सिंह** पुत्र अर्जन सिंह 3. **गुरबचन सिंह** पुत्र अर्जन सिंह 4. **जसवीर कौर** पत्नि गुरचरण सिंह जाति अरोड़ा निवासीयान गांव मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर 5. **बलबीर सिंह पुत्र अर्जन सिंह (मृतक)** 5(1) **रेणू पत्नि** बलबीर सिंह 5(2) **रणजीता पुत्री** बलबीर सिंह 5(3) **रीना पुत्री** बलवीर सिंह 5(4) **दया रानी पुत्री** बलवीर सिंह 5(5) **कमलजीत** पुत्र बलवीर सिंह – **मृतक अविवाहित** 6. जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.09.2021

प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बतरा उपस्थित है। मृतक बलबीर सिंह के वारिस अप्रार्थी संख्या 5(1) से 5(4) के नोटिस तलवाना सही पता पेश करने के लिए पत्रावली आज की पेशी में नियत है किन्तु पैटीशनरस के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह द्वारा प्रार्थना की गई कि उक्त अप्रार्थीगण की तलबी से पूर्व इस मामले में सर्वप्रथम एडमिशन का बिन्दु तय किया जाये। अगर उनकी पैटीशन सुनवाई हेतु ग्रहण की जाती है तो ही आगे गुण दोष पर कार्यवाही की जानी उचित होगी। इसलिए एडमिशन के उक्त बिन्दु पर आज ही बहस सुनी जावे। इस पर अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बतरा ने भी उक्त बिन्दु पर बहस हेतु सहमति प्रगट की। इसलिए पैटीशन के एडमिशन पर बहस सुनी गयी।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री तेजा सिंह का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं सैटलमैंट कमीश्नर, श्रीगंगानगर के समक्ष जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 01.01.1985 के विरूद्ध डी.पी.(सी. एण्ड आर) एक्ट 1954 के तहत एक अपील प्रस्तुत की थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:15:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

क्योंकि उक्त मामला खारिज कर आवंटन खारिज करके नया आवंटन डीपी सी एण्ड आर एक्ट के अन्तर्गत किया गया था। जनरल क्लॉजेज एक्ट के अनुसार यदि कोई एक्ट रिपील हो जाता है और नया एक्ट प्रभाव में आता है तो उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी, नये एक्ट के तहत होगी और जो प्रकरण पुराने एक्ट में चल रहे है, उसमें पुराने एक्ट में कार्यवाही होगी। मौजूदा प्रकरण में अलॉटमैंट खारिज हुआ था इसलिए पुरानी एक्ट के अन्तर्गत ही यह अपील किये जाने का प्रावधान है। अधनीस्थ न्यायालय ने विधि के विपरीत जाकर उनकी पैटीशन खारिज कर दी, जो सही नही है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि मौजूदा प्रकरण में पुराने एक्ट में आदेश पारित किये थे, उसी आदेश को प्रार्थीगण ने निरस्त करवाने के लिए अपील भी पुराने डी.पी. एक्ट के अन्तर्गत की गई, जो कानून सम्मत थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के विपरीत जाकर अपील खारिज की है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.08.2016 खारिज किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री ओम प्रकाश बतरा का कथन है कि केन्द्र सरकार द्वारा डिस्पलेस्ड पर्सन्स कलेम्स एण्ड अदर लॉज रिपील एक्ट 2005 (एक्ट नं. 38 सन् 2005) के द्वारा डी.पी.(सी. एण्ड आर.) एक्ट 1954 (एक्ट नं. 44) रिपील (निरस्त) कर दिया गया है। डी.पी.(सी. एण्ड आर.) एक्ट 1954 (एक्ट नं. 44) रिपील (निरस्त) कि[illegible] है और उक्त अधीनियम में कोई सेविंग क्लॉज नहीं [illegible] के निरस्तीकरण के समय कोई सेविंग क्लॉज न रखे गये हो [illegible] दिनांक को लम्बित कार्यवाहियां जनरल क्लॉजेज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उसी अधिनियम के अनुसार जारी रखी जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:15:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा जिस आदेश को चुनौती दी गई है वह उक्त अधिनियम के रिपील के समय लम्बित नहीं था इसलिए इस मामले में डी.पी.(सी.एण्ड आर.) एक्ट 1954 की धारा 22 व 24 के तहत कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय दिनांक 05.08.2016 विधि सम्मत् है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज की जावे।

मैनें उभय पक्ष के अभिभाषक द्वारा दिये गये उक्त कथनों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं सैटलमैंट कमीश्नर, श्रीगंगानगर के समक्ष जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा राजीबाई(राधीबाई) पत्नी दुल्हा दीनंगल के पक्ष में पारित आवंटन आदेश दिनांक 01.01.1985 को धारा 22 के अन्तर्गत अपील के रूप में चुनौती दी थी। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं सैटलमैंट कमीश्नर, श्रीगंगानगर द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 05.08.2016 को निम्न आदेश पारित किया गया है :

> पत्रावली एडमिशन बहस हेतु पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह व स्टेट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित।
>
> प्रस्तुत अपील अपीलांटस द्वारा जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 71 दिनांक 01.01.1985 के विरूद्ध पेश की गई है जिसके द्वारा [illegible] बडा, मु.नं. 2 आवंटन किया गया था, को [illegible] तोष चाहा गया है। एडमिशन [illegible] अपीलांट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:15:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

डिसप्लेस्ड परसन एवं रिहेबिलीटेशन एक्ट, 1954 के रिपील के समय प्रस्तुत अपील विचाराधीन नहीं थी। रिपील आदेश में केवल यह प्रावधान दिया गया था कि उस समय ऐसे मामले जो लम्बित थे, उनको स्वतः निर्णित नहीं माना जायेगा, उनको जनरल क्लॉल एक्ट की धारा 6 के अन्तर्गत देखा जाकर निर्णित किया जायेगा। प्रस्तुत मामला उस समय लम्बित नहीं था।

वकील अपीलांट द्वारा इस मामले में प्रस्तुत मा. उच्च न्यायालय की नजीर डी.एन.जे. 2008(1) राज. पेज 396 के तथ्य इस प्रकरण में लागू नहीं होते है क्योंकि उस समय मामला न्यायालय में लम्बित नहीं था।

अतः प्रस्तुत अपील एडमिशन की स्टेज पर खारिज की जाती है।

पत्रावली दर्ज की जाकर फैसल शुमार की जावे व बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले नयायालय में सुनाया गया।

-sd-
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा डिसप्लेस्ड पर्सन्स कलेम्स एण्ड अदर रिपील एक्ट 2005 (एक्ट नं. 38 सन् 2005) के द्वारा डी.पी.(सी. एण्ड आर.) एक्ट 1954 (एक्ट नं. 44) रिपील (निरस्त) कर दिया गया है। डी.पी.(सी. एण्ड आर.) एक्ट 1954 (एक्ट नं. 44) रिपील (निरस्त) किया जा[illegible] और कोई सेविंग क्लॉज नहीं रखे गये है। जहां किसी अधिनियम के निरस्तीकरण [illegible] कोई सेविंग क्लॉज नहीं रखे गये हो तो उस अधिनियम के तहत उस रिपील दिनांक को लम्बित कार्यवाहियां जनरल क्लॉज एक्ट के अनुसार उसी अधिनियम के तहत ही जारी रखी जायेगी। **चूंकि डी.पी.(सी. एण्ड आर.) एक्ट 1954 के अन्तर्गत डिसप्लेस्ड**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:15:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पर्सन्स कलेम्स एण्ड अदर रिपील एक्ट 2005(एक्ट नं. 38 सन् 2005) के द्वारा डी.पी.(सी. एण्ड आर.) एक्ट 1954 (एक्ट नं. 44) रिपील (निरस्त) कर दिया गया था किन्तु उसमें कोई सेविंग क्लॉज नहीं रखे गये थे और हस्तगत प्रकरण उक्त अधिनियम के रिपील के समय विचाराधीन नहीं था अर्थात पूर्व में ही निर्णित हो चुका था। इसलिए हस्तगत प्रकरण में अब डी.पी.(सी. एण्ड आर.) एक्ट 1954 के तहत कोई कार्यवाही नहीं चल सकती। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2016 विधि सम्मत् है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय की प्रति वापिस लौटाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक्मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:15:06 IST
Reason: SelfAttested